कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / दिनांक–

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, डुमरॉव
जिला– बक्सर

महाशय,

नगर परिषद्, डुमरॉव के वर्ष 2014–15 से 2015–16 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 275 / 16–17 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर परिषद बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

ह०.

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14609 / 282 दिनांक–18 11 2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, बक्सर

तनवीर हसन 18/11/16

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना

नि0 प्र0 सं0– 275/16–17

भाग– I

प्रस्तावना

1.	निरीक्षित कार्यालय का नाम	नगर परिषद, डुमराँव
2.	लेखापरीक्षा की अवधि	2014–15 से 2015–16
3.	लेखापरीक्षा का क्षेत्र	लेखा परीक्षा में नमूना जॉच किए गए अभिलेखों की सूची परिशिष्ट –II एवं लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों की सूची परिशिष्ट– III पर हैं।
4.	लेखापरीक्षा की तिथि	04.05.2016 से 17.05.2016
5.	प्रशासन	
(क)	मुख्य पार्षद का नाम 1 श्रीमती मीना सिंह 2 इफ्तखार अहमद (कार्यपालक) 3 श्रीमती शकुन्तला देवी	अवधि 01.04.2014 से 12.07.2015 13.07.2015 से 02.08.2015 03.08.2015 से 31.03.2016
(ख)	उप मुख्य पार्षद का नाम 1 इफ्तखार अहमद 2 –तथैव–	 01.04.2014 से 12.07.2015 03.08.2015 से 31.03.2016
(ग)	नगर कार्यपालक पदाधिकारी 1 श्री अनिल कुमार	 01.04.2014 से 31.03.2016
6.	लेखापरीक्षा दल के सदस्य	1 श्री रंजीत कुमार रजक, स0ले0प0अ0 2 श्री निखिल कुमार गौतम, व0ले0प0
7.	निरीक्षण अधिकारी का नाम	श्री विनोद कुमार –II, व0ले0प0अ0

8. पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन प्रतिवेदन

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के धारा 93 में यह प्रावधान किया गया है कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी सशक्त स्थायी समिति के समक्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को उन पर अपनी टिप्पणी के साथ पेश करेंगे, जो जांचोपरांत उन्हें अपनी टिप्पणी के, यदि कोई हो, साथ नगरपालिका के समक्ष प्रस्तुत करेगी। साथ ही, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी अपने प्रतिवेदन में लेखा परीक्षक द्वारा बतायी गयी त्रुटियों को दूर करेंगे। इसके अतिरिक्त धारा 94 में यह प्रावधान किया गया है कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी नगरपालिका द्वारा लेखापरीक्षा का प्रतिवेदन अंगीकार किए जाने के पश्चात उस पर नगरपालिका द्वारा की गयी कार्रवाई प्रतिवेदन के साथ उन्हें राज्य सरकार को अग्रसारित करेंगे और इसकी प्रति स्थानीय लेखापरीक्षक को भेजेंगे।

नगर परिषद्, डुमराँव के वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि पूर्ववर्त्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन प्रतिवेदन नगर परिषद् डुमराँव के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। पूर्ववर्त्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार नहीं किये जाने के कारण

अंकेक्षण का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है। लेखा परीक्षा में उक्त आपत्तियों को उठाये जाने पर कार्यालय प्रधान ने उत्तर दिया कि उक्त पूर्ववर्त्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर महालेखाकार कार्यालय को भेज दिया जाएगा। परिषद कार्यालय द्वारा कितने पूर्ववर्त्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के लंबित कंडिकाओं को अधिनियम के उपरोक्त धाराओं के अनुसार सशक्त स्थायी समिति तथा परिषद बोर्ड के समक्ष विचार के लिए रखा गया तथा उन पर क्या कार्रवाई की गयी, साथ ही उत्तर के अनुरूप पूर्ववर्त्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर महालेखाकार कार्यालय को भेजा जाय।

9. सामान्य अभियुक्ति

नगर परिषद, डुमरॉव पूर्ववर्त्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार की लेखा का संधारण संतोषप्रद नही था। इसमें सुधार की आवश्यकता है। अनुदान पंजी, अनुदान विनियोग पंजी, अग्रिम पंजी इत्यादि का संधारण नहीं किया गया था। दुकान किराया, गृह कर, मोबाईल टावर तथा सैरातों की वसूली हेतु अपेक्षित प्रयास की आवश्यकता थी। नगर परिषद् प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि इन अभिलेखों का संधारण करवाया जाए। परिषद् कार्यालय द्वारा सरकारी अनुदानों की राशि को अवरोधित रखने की प्रवृत्ति पायी गयी तथा अनुदानों का पूर्ण उपयोग नही किया जा रहा था। नगर परिषद् कार्यालय द्वारा बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के अनुरूप लेखाओं का संधारण नहीं किया गया था। अतः नगर परिषद प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि लेखाओं का संधारण नियमानुकूल किया जाए।

10 कार्यपालक से वार्तालाप की गई :– हाँ

11 लेखापरीक्षा का परिणाम :– अंकेक्षण के दौरान वसूली गई राशि– 1975

वसूली हेतु सुझाई गई राशि– 2000475

आपत्ति के अधीन रखी गई राशि– 45076879

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट सं0– 1 पर है।)

12 बजट प्राक्कलन

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 82 से 85 में नगरपालिका का बजट बनाने, उसकी मंजूरी तथा बजट अनुदान में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान किये गए हैं। इसके अनुसार प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को अथवा तत्पश्चात यथा सम्भव शीघ्र बजट प्राक्कलन नगरपालिका के समक्ष पेश करना है। नगर परिषद्, बजट प्राक्कलन और इस पर सशक्त स्थायी समिति की अनुशंसा, यदि कोई हो पर विचार करेगी तथा प्रत्येक वर्ष 15 मार्च तक ऐसे परिवर्तनों के साथ आगामी वर्ष हेतु बजट प्राक्कलन अंगीकार करेगी जैसा वह आवश्यक समझे और इस प्रकार अंगीकृत बजट राज्य सरकार को भेजेगी। यथा स्थिति राज्य सरकार उपरोक्त उपधारा के अधीन प्राप्त बजट प्राक्कलन राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता से सम्बद्ध उपबंधों में परिवर्तन के साथ अथवा बिना परिवर्तन के उस वर्ष के मार्च की 31 तारीख के पूर्व नगर परिषद को लौटा देगी।

नगर परिषद् डुमराँव के वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि बार– बार मौखिक रूप से माँगे जाने के बावजूद भी नगर परिषद् डुमराँव के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 का बजट संचिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

नगर परिषद् डुमराँव के वित्तीय वर्ष 2014–15 का बजट प्राक्कलन उक्त प्रावधानों के अंतर्गत बजट तैयार नहीं किया गया था। नगर परिषद् डुमराँव के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 के बजट को निम्नानुसार पारित किया गया था–

वित्तीय वर्ष	**परिषद बोर्ड द्वारा पारित करने की तिथि**	**राज्य सरकार को भेजने की तिथि**	**पत्रांक**	**राज्य सरकार द्वारा पारित कर वापस करने की तिथि**
2014–15	27.03.2014	31.03.2014	130	संचिका में कोई सूचना दर्ज नहीं किया गया था

उक्त बजट प्राक्कलन को परिषद बोर्ड के द्वारा पारित कर 15 मार्च तक राज्य सरकार को भेज दिया जाना था किंतु उक्त बजट प्राक्कलन को राज्य सरकार को 16 दिनों के विलंब से 31.03.2014 को भेजा गया और राज्य सरकार के द्वारा इसे कब विचार कर लौटाया गया इसकी सूचना संचिका में दर्ज नहीं थी। लेखा परीक्षा में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि उक्त बजट को किन परिस्थितियों में राज्य सरकार को विलंब से भेजा गया और राज्य सरकार के द्वारा इसे कब विचार कर लौटाया गया।

(ख) बजट प्राक्कलन यथार्थता से परे

नगर परिषद् द्वारा वार्षिक लेखा (नियम 82 तथा 83), वित्तीय विवरण (धारा 88) एवं तुलन पत्र (धारा 89) का संधारण नहीं किया गया था। इसके कारण अंकेक्षण द्वारा बजट में दर्शाये गए प्राप्तियों तथा व्ययों का वास्तविक आय– व्यय से शीर्षवार तुलना नहीं किया जा सका।

नगर परिषद्, डुमराँव के द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2016–17 के बजट संचिका के अवलोकन के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2014–15 में बजट में दर्शाए गए अनुमानित आय एवं व्यय की राशि वास्तव में उस साल के आय एवं व्यय की राशि से काफी भिन्न है। जिसका विस्तृत विवरणी निम्न है।

क्रम संख्या	**विवरण**	**वित्तीय वर्ष 2014–15**
1.	बजट के अनुसार अनुमानित आय (बजट 2014–15 के अनुसार)	129192156
2.	वास्तविक आय (बजट 2016–17 के अनुसार)	145864647
3.	**बजट का प्रतिशत**	**112.91 प्रतिशत**
4.	बजट के अनुसार अनुमानित व्यय (बजट 2015–16 के अनुसार)	95097188
5.	वास्तविक व्यय (बजट 2016–17 के अनुसार)	68556573
6.	**बजट का प्रतिशत**	**72.09 प्रतिशत**

बजट प्राक्कलन बनाने की प्रक्रिया के अनुसार प्राक्कलन में दर्शाये गए राशि के विरूद्ध मात्र 10 प्रतिशत राशि का ही विचलन (कम/अधिक) मान्य होता है। लेकिन नगर परिषद्, डुमराँव द्वारा पारित उक्त वर्ष के बजट प्रावधानों के विरूद्ध बहुत ही कम लक्ष्यों की प्राप्ति की गयी थी। अर्थात नगर परिषद् द्वारा पारित बजट काल्पनिक थी। अंकेक्षण में यह पूछे जाने पर कि किन कारणों से बोर्ड द्वारा पारित बजट के अनुसार आय– व्यय के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका। कार्यपालक पदाधिकारी ने उत्तर दिया कि भविष्य में ध्यान रखा जाएगा। जवाब के अनुरूप कार्रवाई की जाय।

13. वार्षिक लेखा का संधारण नहीं एवं वित्तीय विवरण तथा तुलन पत्र नहीं बनाया जाना

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 के नियम– 82 तथा 83 में प्रावधान किया गया है कि नगरपालिका के आय तथा व्यय का विवरण फार्म XVII तथा XVIII में दर्ज किया जाएगा तथा लेखापाल द्वारा फार्म XIX में वार्षिक लेखा संधारित किया जाएगा।

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 88 तथा 89 में क्रमशः वित्तीय विवरण तथा तुलन पत्र तैयार करने का प्रावधान किया गया है। धारा 88 के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के चार माह के भीतर एक वित्तीय विवरण तैयार करना है जिसमें नगरपालिका लेखा के मद्दे पूर्ववर्ती वर्ष का आय–व्यय लेखा तथा प्राप्तियॉ एवं अदायगी को अंतर्विष्ट करना है। इसके अतिरिक्त धारा 89 में प्रावधान किया गया है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के चार माह के भीतर पूर्ववर्ती वर्ष के लिए नगरपालिका की आस्तियों एवं दायित्वों से संबद्ध तुलन पत्र तैयार करना है।

नगर परिषद्, डुमराँव के वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि उक्त वित्तीय वर्षों का वार्षिक लेखा, वित्तीय विवरण तथा तुलन पत्र को नहीं बनाया गया था। लेखा परीक्षा में उक्त आपत्तियों को उठाये जाने पर कार्यालय प्रधान ने उत्तर दिया कि लेखाओं का संधारण कर लिया जाएगा, जवाब के अनुरूप कार्रवाई की जाय और बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 88 तथा 89 एवं बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 के नियम– 82 तथा 83 के अनुसार वित्तीय विवरण, तुलन पत्र और वार्षिक लेखा तैयार कर अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाय।

14(क) वित्तीय अधिदृश्य

सरकार के दिशा निर्देशानुसार एवं वित्तीय नियमानुसार कार्यालय में एक सामान्य रोकड़ पंजी का संधारण किया जाना चाहिए जिसमें सभी सहायक रोकड़ पंजियों का सार परिलक्षित हो परंतु कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये लेखा बहियों के अवलोकन से पता चला कि सामान्य रोकड़ पंजी का संधारण नहीं किया जा रहा है तथा एक PL A/C. 231 से संबंधित रोकड़ पंजी का संधारण किया जा रहा है जिसमें विभिन्न मदो की राशि का संधारण किया जा रहा है जिसकी स्थिति निम्न प्रकार है–

	2014–15	2015–16
प्रारम्भिक शेष	133585957.81	77308074.81
वर्ष की प्राप्ति	86127866	35613201
कुल प्राप्ति	219713823.81	112921275.81
व्यय	142405749	75325283
अंतशेष	77308074.81	37595992.81

कोषागार पंजी का अंतशेष ₹ 37595992.81 है। उक्त रोकड़ पंजी एवं कोषागार पंजी में निम्न त्रुटियाँ पायी गयी है।

(1) रोकड़ पंजी के संधारण में Whitener का प्रयोग किया गया था और ओवर राईटिंग भी किया गया था।

(2) प्राप्ति एवं व्यय का शीर्ष दर्ज नही किया गया था।

(3) वर्ष के अंत में समाधान विवरणी तैयार नही किया गया था।

(4) पैन्सिल से राशि दर्ज किया गया था।

लेखा परीक्षा में उक्त आपत्ति उठाये जाने पर कार्यालय प्रधान ने उत्तर दिया कि दिए गए निर्देश का अनुपालन किया जाएगा, उक्त त्रुटियों को दूर किया जाये।

(ख) रोकड़ बहियों का संधारण नही किया जाना

सरकार के दिशा निर्देशानुसार एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के अनुसार प्रत्येक मद के लिए अलग रोकड़ पंजी एवं बैंक पासबुक संधारण किया जाना चाहिए साथ ही सभी सहायक रोकड़ पंजियों से संबंधित एक सामान्य रोकड़ पंजी का संधारण किया जाना चाहिए ताकि उस कार्यालय के वित्तीय स्थिति (सभी आय व्यय) को आसानी से एक सार के रूप में रखा जा सके। परंतु उपलब्ध कराये गए रोकड़ पंजियों एवं बैंक पासबुकों के जाँच में पाया गया कि PL A/C के अतिरिक्त कुल 21 बैंक खाता संधारण किया जा रहा है जिसमें मात्र तीन (3) बैंक खाता से संबंधित रोकड़ पंजियो को लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराया गया। शेष रोकड़ पंजियों का संधारण नहीं किया जा रहा था, 18 बैंक खाता में पाँच (5) बैंक खाता से राशि की निकासी कर दूसरे बैंक खाते में स्थानान्तरण (जिसका रोकड़ पंजी संधारित) की गयी थी।

संबंधित बैंक खाता का रोकड़ पंजियों का संधारण नहीं किए जाने के कारण लेखा परीक्षा में पूछे जाने पर कार्यालय प्रधान ने उत्तर दिया कि रोकड़बहियों का संधारण कर लिया जाएगा, जवाब के अनुरूप कार्रवाई की जाय।

15. आंतरिक लेखापरीक्षा

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 97 में आंतरिक लेखा परीक्षा का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार राज्य सरकार या नगर निगम प्रतिदिन लेखाओं की लेखा परीक्षा की व्यवस्था उस रीति से करेगी जैसा कि वह उचित समझे।

नगर परिषद्, डुमराँव के वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि उक्त वित्तीय वर्षों में परिषद् कार्यालय द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। जिसके कारण निगम के प्राप्तियों तथा व्ययों में कई गंभीर अनियमिततायें पायी गयी जिसका विवरण आगे के कंडिकाओं में दिया गया है।

लेखा परीक्षा में यह पूछे जाने पर कि परिषद् कार्यालय में वित्तीय अनुशासन एवं लेखा–नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्या ठोस एव सुदृढ कार्रवाई की गयी, एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 97 में विहित आंतरिक लेखा परीक्षा के प्रावधानों के अंतर्गत क्या व्यवस्था की गयी। लेखा परीक्षा में उक्त आपत्तियों को उठाये जाने पर कार्यालय प्रधान ने उत्तर दिया कि बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 97 में उल्लेखित आंतरिक लेखा परीक्षा के प्रावधानों के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा का प्रावधान किया जाएगा, जवाब के अनुरूप कार्रवाई किया जाय।

दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र
DISCLAIMER CERTIFICATE

यह निरीक्षण प्रतिवेदन नगर परिषद् डुमराँव द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना को लेखा परीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

भाग– II
खण्ड– क– शून्य

भाग– II
खण्ड– ख

कंडिका संख्या 1 नक्शा पारित करने में ₹ 2.25 लाख के श्रम सेस की वसूली नहीं किया जाना

प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या– वी0सी0 डब्लू0सी0–01/2008 द्वारा राज्य सरकार के सभी कार्य विभागों को यह सूचित किया गया था कि बिहार राज्य के निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के लिए "बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड" का गठन दिनांक–18.02.08 को किया जा चुका है। साथ ही सभी कार्य विभागों से यह अनुरोध किया गया था कि वे वित्तीय वर्ष 2007–08 से उनके द्वारा लिए गये योजनाओं के कुल लागत का एक प्रतिशत सेस श्रम संसाधन विभाग के विकास भवन में गठित "बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड" में जमा करें।

इसके अतिरिक्त वैसे रिहायसी मकान जो निजी उपयोग के लिए बनाये गये थे और जिसका लागत ₹ 10 लाख से अधिक था उनसे एक प्रतिशत राशि नक्शा पारित करने के समय ही वसूल कर नगर निगम अथवा नगरपालिका में जमा करना था।

साथ ही यह भी प्रावधान किया गया था कि निर्धारित समय पर सेस जमा नहीं करने पर कुल सेस का दो प्रतिशत प्रतिमाह सूद के देनदार होंगे। साथ ही कुल शेष राशि के बराबर अर्थात एक प्रतिशत + एक प्रतिशत – कुल दो प्रतिशत सेस राशि उनसे वसूली जाएगी। प्राधिकारी जिनके द्वारा सेस जमा किया जाएगा जमा किए जाने वाले कुल उपकर राशि का एक प्रतिशत प्रशासनिक एवं अन्य खर्च हेतु व्यय कर सकेंगे।

श्रम संसाधन विभाग द्वारा इसके व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए समाचार पत्रों के माध्यम से भी यह सूचना प्रकाशित करायी गयी थी।

उपरोक्त प्रावधानों के अनुपालन में नक्शा पारित करते समय न तो नगर परिषद् कार्यालय द्वारा तथा न ही वास्तुविदों द्वारा इस सेस की वसूली की गयी थी। नगर परिषद् कार्यालय तथा वास्तुविदों द्वारा नक्शों में भवन निमार्ण की प्राक्कलित राशि भी नहीं दर्शायी गयी थी। इसके कारण अंकेक्षण द्वारा श्रम सेस की वास्तविक हानि ज्ञात नहीं की जा सकी।

भारत सरकार के केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं मानक एकक) निर्माण भवन, नई दिल्ली के पत्रांक सं0 62/एस ई (टी ए एस) प्लिन्थ एरिया रेट्स/ 122 दिनांक 12.12.2007 के अनुसार दिनांक 01.10.2007 से नई कुरसी क्षेत्र (आधार 100 पर) दर लागू था। जिसके अनुसार प्रति फ्लोर 2.90 मी0 ऊँचाई वाले आवासीय/गैर आवासीय छः तल्ले तक के भवनों के निर्माण का लागत ₹ 9000 प्रति वर्गमीटर था। इस आधार दर पर समयानुसार मूल्य सूचकांक की भी स्वीकृति दी गयी थी जिसका विवरण नीचे दिया गया है–

पत्रांक/दिनांक	स्थल का नाम	लागू होने की तिथि	मूल्य सूचकांक
No.19(2)/CE(EZ-II)/2008/ 806 दिनांक 25.6.2008	पटना	04/2008	122
No.19(2)/CE(EZ-II)/2009/2010 दिनांक 21.12.2009	पटना	12/2009	147
No.19(2)/CE(EZ-II)/2011/73 दिनांक 12.1.2011	पटना	12/2010	155
स 19(2)/मु0अ0(पू.अं.–II)/2011/ 4648–71 दिनांक 28.12.11	पटना	12/2011	169
सं 19(2)/मु0अ0(पू.अं.– II)/2013/ 189–203 दिनांक 09.01.13	पटना	01/2013	179

वर्ष 2007 में लागू प्रति वर्गमीटर कुर्सी दर ₹ 9000 के आधार दर पर 179 प्रतिशत मूल्य सूचकांक को जोड़कर वर्ष 2014–15 में नगर परिषद् एवं वास्तुविदों द्वारा पारित कुल नक्शों के लागत मूल्य की

गणना की गयी। इसके आधार पर जिन भवनों का लागत मूल्य ₹ 10 लाख से अधिक था के गणना के आधार पर पाया गया कि नगर परिषद् द्वारा न्यूनतम कुल ₹ 225297.00 के श्रम सेस की वसूली नहीं की गयी थी। (विस्तृत विवरण परिशिष्ट– VII पर)

लेखा परीक्षा में यह पूछे जाने पर कि किन परिस्थितियों में श्रम सेस की राशि की कटौती उक्त भवनों जिसका लागत मूल्य 10 लाख से अधिक था से नहीं की गयी थी। कार्यापालक पदाधिकारी ने उत्तर दिया कि इस संबंध में विभाग द्वारा कोई निर्देश प्राप्त नहीं है। निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त अनुपालन किया जाएगा। उत्तर मान्य नहीं है। श्रम सेस की राशि की कटौती नहीं किये जाने के कारण श्रम विभाग को ₹ 2.25 लाख के श्रम सेस की हानि हुई तथा इसके अतिरिक्त ₹ 0.02 लाख की प्रशासनिक हानि नगर परिषद् को हुई। उक्त हानि की राशि ₹ 225297 को नगर परिषद कार्यालय द्वारा अथवा संबंधित वास्तुविदों के माध्यम से सूद सहित वसूल कर श्रम विभाग में जमा किया जाय।

कंडिका संख्या 2 प्रखण्ड के जमीन पर नगर सरकार भवन के निर्माण एवं निर्माण में अवरूद्ध राशि ₹ 311.29 लाख।

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नगर परिषद् डुमराँव क्षेत्रान्तर्गत नगर सरकार भवन के निर्माण के संचिका (संख्या अंकित नहीं) के अवलोकन के दौरान पाया गया कि स्वीकृत्यादेश सं0 4533/ न0 वि0 एवं आ0 वि0 दिनांक 29.08.2008 के द्वारा ₹ 38.79075, स्वीकृत्यादेश सं0 50/न0 वि0 एवं आ0 वि0 दिनांक 13. 11.2013 के द्वारा ₹ 125.00 लाख एवं स्वीकृत्यादेश सं0 89/न0 वि0 एवं आ0 वि0 दिनांक 06.02.2014 से प्राप्त राशि ₹ 104.16 लाख और स्वीकृत्यादेश 28 और राज्यादेश सं0 18/न0 वि0 एवं आ0 वि0 दिनांक 24.07.2014 से प्राप्त राशि ₹ 20.83333 लाख और स्वीकृत्यादेश 53 और राज्यादेश सं0 43/न0 वि0 एवं आ0 वि0 दिनांक 15.09.2014 से प्राप्त राशि ₹ 22.50592 लाख कुल मो0 ₹ 311.29 लाख नगर परिषद् डुमराँव क्षेत्रान्तर्गत नगर सरकार भवन के निर्माण हेतु नगर परिषद् डुमराँव को प्राप्त हुआ।

सरकार के उक्त पत्रों में दिये गये दिशा निर्देशानुसार राशि का व्यय निम्नरूपेण किया जाना था।

(i) संबंधित नगर निकाय राशि की निकासी कर योजना के कार्यान्वयन हेतु अपने जिला के जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा) को राशि उपलब्ध करा देंगें।

(ii) योजना का कार्यान्वयन दो वर्षो के अन्दर किया जाएगा।

(iii) संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निदेशन समय–समय पर दिया जाएगा।

(iv) कंक्रीट से संबंधित कार्य के गुणवत्ता की जाँच करने के लिए सामग्री का Cube Test पथ निर्माण विभाग, बिहार के TRI Laboratory से करा कर जाँच प्रतिवेदन विपत्र के साथ लगाया जाएगा।

(v) योजना का क्रियान्वयन ई–टेंडरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।

(vi) स्वीकृत निधि की अधिसीमा के अन्तर्गत ही योजनाओं के अनुरूप सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वित करायी जाएगी। यह ध्यान में रखा जाएगा कि योजनाओं का डुप्लीकेशन न हो एवं पाँच वर्ष पूर्व से अवतक किसी भी एजेंसी से कोई कार्य नहीं कराया गया हो।

(vii) सभी योजनाओं हेतु कार्यस्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण – लागत, तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(viii) निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत भवन पर एक बोर्ड लगाया जाएगा जिसपर नगर सरकार भवन अंकित रहेगा।

(ix) योजनाओं का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जाएगा। आवंटित राशि का व्यय उसी कार्य के विरूद्ध किया जाएगा, जिसके निमित्त राशि आवंटित की गई है।

(x) योजनाओं का कार्यान्वयन की, त्रैमासिक, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध करायी जाएगी।

(xi) स्वीकृत राशि का 50 प्रतिशत राशि की निकासी की जाएगी तथा निकासी की गई राशि का 75 प्रतिशत राशि व्यय होने के उपरान्त ही शेष राशि की निकासी की जाएगी।

(xii) नगर सरकार भवन का मॉडल प्राक्कलन एवं नक्शा अलग से बाद में भेजा जाएगा।

अंकेक्षण टिप्पणी:–

(i) सरकार के उक्त दिशा निर्देशानुसार स्वीकृत राशि ₹ 311.29 लाख, का 50 प्रतिशत राशि अर्थात ₹ 155.645 लाख की निकासी कर कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा) बक्सर को भेजना था तथा निकासी की गई राशि का 75 प्रतिशत राशि व्यय होने के उपरान्त ही शेष राशि की निकासी की जानी थी किंतु सरकार के उक्त दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर चेक संख्या A 833625 दिनांक 13.03.2015 के द्वारा पूरी राशि ₹ 311.29 लाख, का स्थानानंतरण कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा) बक्सर को किया गया। अतएव ₹ 155.645 लाख (₹ 311.29 लाख – ₹ 155.645 लाख) का अधिक स्थानानंतरण जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा) बक्सर को किया गया।

(ii) उक्त संचिका के आगे के अवलोकन के दौरान पाया गया कि नगर परिषद् डुमराँव के ज्ञापांक संख्या 517 दिनांक 27.12.2014 के द्वारा नगर विकास भवन के निर्माण हेतु प्रखण्ड परिसर में स्थित जमीन का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा) बक्सर को भेजा गया। लेखा परीक्षा में यह पूछे जाने पर कि क्या उक्त जमीन को प्रखण्ड के द्वारा नगर परिषद् डुमराँव को हस्तानानंतरण कर दिया गया है? उक्त जमीन पर बने नगर सरकार भवन पर मलिकाना हक किसका होगा? नगर परिषद् को उक्त जमीन हेतु कितना किराया देना होगा? नगर परिषद् डुमराँव को प्रखण्ड द्वारा किन शर्त्तों पर जमीन दिया गया है? लेखा परीक्षा में उक्त आपत्तियों को उठाये जाने पर कार्यपालक पदाधिकारी ने उत्तर दिया कि विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान सचिव द्वारा किये गये मौखिक

आदेशानुसार सारी राशि शहरी विकास अभिकरण को स्थानांतरित कर दिया गया है, साथ ही अंचलाधिकारी का NOC लेने का निर्देश प्राप्त था। इसका क्रियान्वयन जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा) के द्वारा किया गया है। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि आपति के आलोक में बिन्दुवार आपति के प्रासंगिक जवाब नहीं दिया गया।

(iii) योजना का क्रियान्वयन ई–टेंडरिंग के माध्यम से कराया जाना था और दो वर्षों के अन्दर कार्य को पूर्ण किया जाना था, किंतु संचिका में उक्त कार्य के क्रियान्वयन के संबंध में संचिका में काई भी जिक्र नहीं था। सरकार के दिशा निर्देशानुसार दिनांक 13.03.2015 को जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा) को राशि उपलब्ध करा देने के बावजूद भी आज तक (अप्रैल 2016) उक्त कार्य को पूर्ण नहीं कराया जा सका। उक्त कार्य के क्रियान्वयन की ई–टेंडरिंग, प्राक्कलन, मापी पुस्तिका, इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। सरकार के दिशा निर्देशानुसार कार्य को आज तक (अप्रैल 2016) पूर्ण नहीं कराये जाने का कारण भी लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया।

(iv) सरकार के दिशा निर्देशानुसार संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निदेशन समय– समय पर किया जाना था किंतु लेखा परीक्षा में उक्त कार्य का सरकार के दिशा निर्देशानुसार योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निदेशन का प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया।

(v) सरकार के दिशा निर्देशानुसार योजनाओं का कार्यान्वयन का, त्रैमासिक, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन सरकार को उपलब्ध कराया जाना था, किंतु उक्त योजना के कार्यान्वयन का, उक्त प्रगति प्रतिवेदन लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

(vi) सरकार के दिशा निर्देशानुसार कंक्रीट से संबंधित कार्य का गुणवत्ता की जाँच करने के लिए सामग्री का Cube Test पथ निर्माण विभाग, बिहार के TRI Laboratory से करा कर जाँच प्रतिवेदन विपत्र के साथ लगाया जाना था। उक्त बिहार के TRI Laboratory से किया हुआ जाँच प्रतिवेदन विपत्र के साथ लगा हुआ लेखा परीक्षा में नहीं दिखाया गया।

लेखा परीक्षा में उठाये गये उक्त बिंदुओं का स्पष्टीकरण अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये जाने तक व्यय किया गया राशि ₹ 311.29 लाख को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

कंडिका संख्या 3 संचार टावरों का अनाधिकृत अधिष्ठापन एवं पंजीकरण और नवीकरण शुल्क की वसूली नहीं राशि ₹ 10.60 लाख

बिहार सरकार द्वारा संचार टावर संबंधित संरचना पर करों के सम्बन्ध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 दिनांक 08.10.2012 को अधिसूचित किया गया है।

उपर्युक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार कोई संचालक जो पूर्व मे संचार टावर स्थापित कर चुका है या स्थापित करना चाहता है उसे संबंधित दस्तावेज तथा विहित अपेक्षित फीस के साथ नगरपालिका को आवेदन करना है।

नियमावली के नियम 6(1)के अनुसार नगर निगम पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹ 40000 प्रति टावर एवं ₹ 10000 नवीकरण शुल्क प्रतिवर्ष निर्धारित किया है। नियमतः 6(4) के अनुसार प्रत्येक अतिरिक्त एंटिना पर 60 प्रतिशत की दर से पंजीकरण शुल्क तथा नवीकरण शुल्क अतिरिक्त रूप से लगाया जाएगा। नियमावली 6(7) के अनुसार वार्षिक नवीकरण फीस पूर्ण वर्ष के लिए अग्रिम में देय होगा अथवा अनुपातिक रूप से देय होगा अगर पंजीकरण वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत की जाती है। वार्षिक नवीकरण शुल्क प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को देय होगा। अगर उस वित्तीय वर्ष का वार्षिक नवीकरण शुल्क 30 अप्रैल तक नहीं प्राप्त होता ह। तो 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज उपार्जित तथा देय होगा।

नगर परिषद् डुमराँव के वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि नगर परिषद् डुमराँव के द्वारा प्रस्तुत संचार मीनार पंजी के अनुसार 11 संचार मीनार नगर परिषद् डुमराँव मे अधिष्ठापित थे। अधिष्ठापित संचार मीनार का निबंधित एकरारनामा लेखा परीक्षा में अतिशीघ्र प्रस्तुत किया जाय, और उक्त संचार मीनार के अधिष्ठापना हेतु निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

नगर परिषद् डुमराँव द्वारा लेखापरीक्षा दल को उक्त अधिष्ठापित 11 संचार मीनार के विरूद्व दिनांक 31.03.2016 तक बकाया राशि की कोई भी विवरणी प्रस्तुत नहीं की गयी। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत संचार मीनार पंजी में अधिष्ठापित 9 संचार मीनारों का लंबित पंजीकरण शुल्क तथा नवीकरण शुल्क की गणना लेखा परीक्षा में की गयी, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है।

क्रम सं0	जमीन/गृह स्वामी का नाम	कम्पनी का नाम	टावर अधिष्ठापन की तिथि	पंजीकरण शुल्क (₹)	नवीकरण शुल्क (₹)	कुल राशि (₹)
1.	फूलचन्द कानू पथ, आदित्य मुनीव के जमीन	टाटा इण्डिकॉम	2004–05	40000.00	110000.00	150000.00
2.	सुमित्रा महाविद्यालय के पूरब पाठक जी के जमीन	रिलायन्स टावर	2004–05	40000.00	110000.00	150000.00
3.	राजगढ़, डुमराँव	बी0 एस0 एन0 एल0	2002–03	40000.00	130000.00	170000.00
4.	अजित सिंह के जमीन में, बखोरी कोन्सान की गली	एयर टेल	2005–06	40000.00	100000.00	140000.00
5.	विजय कुमार साह, वार्ड सं0 15	एयर टेल	2007–08	40000.00	80000.00	120000.00
6.	अमरेन्द्र पाण्डेय के जमीन में, ठठेरी बाजार रोड	एयर सेल	2007–08	40000.00	80000.00	120000.00
7.	लक्ष्मण दूबे के जमीन में,	टावर विजन इण्डिया लि0	2012–13	40000.00	30000.00	70000.00
8.	लाल जी यादव के जमीन में	एयर सेल	अंकित नहीं	40000.00	10000.00	50000.00

9.	विलकन सोनार के जमीन में; गोशाला रोड	टेलेनॉर	2010–11	40000.00	50000.00	90000.00
				360000.00	**700000.00**	**1060000.00**

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत संचार मीनारों पंजी अनुसार उक्त संचार मिनारों से कम से कम पंजीकरण शुल्क तथा नवीकरण शुल्क ₹ 1060000.00 नही लिया जा रहा था। लेखा परीक्षा में यह पूछे जाने पर कि विभिन्न मोबाइल कम्पनियों पर बकाया राशि ₹ 1060000.00 (₹ 360000.00+₹ 700000.00) की वसूली के दिशा में क्या–क्या प्रयास किया गया? कार्यपालक पदाधिकारी ने उत्तर दिया कि संचार टावर का डिमांड रजिस्टर तैयार कर लिया गया है, साथ ही वसूली का कार्य चल रहा है। जबाव के अनुरूप कार्रवाई की जाय।

मोबाईल मीनार टावरों पर अतिरिक्त एंटिना लगाये जाने से संबंधित संचिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है, उक्त संचिका को अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

मीनार टावर पंजी में संचार मिनारों के अधिष्ठापना की तिथि दर्ज नहीं थी, तथा यह भी दर्ज नहीं था कि उक्त संचार मिनारों से कब तक का नवीकरण शुल्क लिया जा चुका है अतएव उक्त संचार मिनारों से उक्त बकाया नवीकरण शुल्क एवं बकाया राशि पर 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज की गणना भी नहीं की जा सकी।

उक्त 9 संचार मिनार जिन व्यक्तियों के घरों और जमीनों पर अवस्थित थे, उन घरों एवं जमीनों के गृह कर/सम्पत्ति कर परिषद् कार्यालय द्वारा किन दरों से वसूली की जा रही थी का विस्तृत विवरणी अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय। जिससे यह ज्ञात हो सके कि परिषद् कार्यालय द्वारा निर्धारित व्यवसायिक दरों से उक्त घरों एवं जमीनों से गृह कर/सम्पत्ति कर परिषद् कार्यालय द्वारा वसूली की जा रही थी।

कंडिका संख्या 4 नक्शा स्वीकृति में डेवलपमेन्ट परमिट फीस नहीं लेने के कारण ₹ 0.12 लाख की हानि।

बिल्डिंग बाई लॉ के नियम 4.1 के प्रावधानों के अनुसार कोई व्यक्ति संगठन सहित, केन्द्र/राज्य सरकारों के विभाग या स्थानीय निकायों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को किसी भवन का निर्माण, पुनर्निर्माण अथवा परिवर्तन करने या गिराने अथवा भूमि के किसी खण्ड का विकास करने से पूर्व प्राधिकार से पृथक भवन निर्माण अथवा विकास करने की अनुमति लेना होगा। इसके अतिरिक्त, मोडिफाईड बिल्डिंग बाई–लॉ के बाई–लॉ सं0 6.1 में यह प्रावधान किया गया है कि नक्शा का कोई भी आवेदन तब तक वैध नहीं होगा जब तक की आवेदनकर्ता बाई–लॉ सं0 6.2 में उल्लेखित निम्न डेवलपमेन्ट परमिट फीस जमा नहीं कर देता है तथा आवेदन के साथ रसीद का अभिप्रमाणित कॉपी संलग्न नहीं करता है–

क्षेत्रफल	**परमिट फीस**
एक हेक्टेयर तक	₹ 1500/–
एक हेक्टेयर एवं उससे ऊपर तथा 2.5 हेक्टेयर तक	₹ 3000/–
2.5 हेक्टेयर से ऊपर	₹ 5000/–

वाणिज्यिक भवनों के लिए उपरोक्त का दोगुना शुल्क लेना है।

राज्य सरकार ने जून 2009 में एक अधिसूचना निकाला कि 15 जूलाई 2009 के बाद सभी भवन निर्माण योजनाओं की स्वीकृति वास्तुविदों द्वारा दिया जाएगा तथा 'विकास परमिट शुल्क', भवन निर्माण परमिट शुल्क एवं अन्य शुल्क जो स्थानीय शहरी निकायों द्वारा लगाया जाएगा की वसूली वास्तुविदों द्वारा की जाएगी तथा भवन निर्माण योजनाओं की स्वीकृति के लिए प्रतिवेदनों के साथ प्राप्त राशि निगम कोष में उनके द्वारा जमा की जाएगी।

लेकिन नगर परिषद् कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 की अवधि में स्वीकृत नक्शों की जॉच में पाया गया कि किसी भी नक्शा की स्वीकृति के लिए नगर परिषद द्वारा डेवलपमेन्ट परमिट फीस आवेदनकर्ता से नहीं लिया गया था। नक्शा प्राप्ति पंजी में यह उल्लेख नहीं किया गया था कि स्वीकृत नक्शा आवासीय था अथवा वाणिज्यिक। इसके कारण अंकेक्षण में डेवलपमेन्ट परमिट फीस मद में प्राप्त होने वाली वास्तविक राशि की गणना नहीं की जा सकी। इस अवधि में कुल 8 नक्शे नगर परिषद कार्यालय एवं वास्तुविदों द्वारा पारित किये गये थे, लेकिन न तो नगर परिषद कार्यालय द्वारा तथा न ही वास्तुविदों द्वारा डेवलपमेन्ट परमिट फीस आवेदनकर्ताओं से लिया गया था। न्यूनतम प्रति नक्शा ₹ 1500 के गणना के आधार पर वित्तीय वर्ष 2015–16 के अवधि में नगर परिषद को स्वीकृत नक्शों पर नगर परिषद कार्यालय को न्यूनतम ₹ 12000.00 (8 X ₹ 1500.00) की हानि हुयी।

लेखा परीक्षा में उक्त आपत्ति उठाये जाने पर कार्यालय प्रधान ने उत्तर दिया कि सितम्बर 2014 में बिहार भवन उपविधि बना है, जिसके आलोक में वास्तुविदों एवं अन्य तकनीकि कर्मीयों को Empanel कर कार्य किया जा रहा है। उत्तर मान्य नहीं है, अतः नहीं वसूले गये डेवलपमेन्ट परमिट फीस की वसूली संबंधित व्यक्तियों अथवा वास्तुविदों से वसूल कर ₹ 12000.00 निगम कोष में जमा करके अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाय।

कंडिका संख्या 5 कृषि एजुकेशनल एण्ड हेल्थ सेवा संस्थान, पटना को सफाई कार्य में अधिक भुगतान ₹ 5.26 लाख

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्र संख्या 2ब0/ना0 सु0–03–18/2015/16 दिनांक 17.07.2015 के द्वारा नगर परिषद् डुमरॉंव को ₹ 51.726 लाख शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार हेतु किया जाना था। इसके अंतर्गत निम्नलिखित घटक शामिल किया जाना था।

(क) डोर–टू–डोर कचरा संग्रहण,

(ख) कचरा संग्रहण हेतु उपकरणों का क्रय,

(ग) कचरे का प्रबंधन हेतु Landfill Site का क्रय/विकास,

(घ) कचरे से कम्पोस्ट/बिजली बनाने की योजना में सहायता,

(ड़) नालों की उड़ाही, सफाई एवं सुदृढ़ीकरण,

(च) सार्वजनिक स्थलों पर सफाई की विशेष व्यवस्था करने हेतु मानव बल उपलब्ध कराना।

उक्त अनुदान की राशि के व्यय हेतु नगर परिषद् डुमराँव नें अपने सभी 26 वार्डो के सफाई की जिम्मेवारी कृषि एजुकेशनल एण्ड हेल्थ सेवा संस्थान, पटना नामक संस्था को दी गयी थी। उक्त संचिका के अवलोकन के दौरान निम्नलिखित अनियमितता पाई गई–

कृषि एजुकेशनल एण्ड हेल्थ सेवा संस्थान, पटना एक गैर सरकारी संस्था है। इसका मुख्यालय पटना (बिहार) में है। नगर परिषद् डुमराँव द्वारा अपने सभी 26 वार्डो में सफाई व्यवस्था को ठीक रखने के उद्देश्य से सामाचार –पत्र में निविदा निकाला गया। निविदा के आलोक में दो निविदादाता ने निविदा डाली। जिसमें कृषि एजुकेशनल एण्ड हेल्थ सेवा संस्थान, पटना को न्यूनतम निविदा ₹ 1066000.00 प्रति माह (26 X ₹ 41000.00) के करार पर चयन किया गया।

चयनोपरान्त कार्यालय नगर परिषद् डुमराँव के कार्यादेश संख्या 732 दिनांक 11.12.2015 को कृषि एजुकेशनल एण्ड हेल्थ सेवा संस्थान, पटना को दिनांक 18.12.2015 से सभी 26 वार्डो को सफाई कार्य प्रारंभ करने हेतु आदेश निर्गत किया गया। दिनांक 23.12.2015 को नगर परिषद् डुमराँव एवं कृषि एजुकेशनल एण्ड हेल्थ सेवा संस्थान, पटना के बीच एकरारनामा संख्या M/807477 दिनांक 23.12.2015 का निम्न शर्त्तो के अधीन एकरारनामा किया गया।

(i) वार्ड सं0 01 से 26 तक सभी घरों एवं दुकानों से कचरा संग्रह कर निष्पादन करेंगें। इसके लिए प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को ₹ 41000.00 प्रति वार्ड प्रति माह के दर से भुगतान करेगी। (शर्त्त सं0–1)

(ii) प्रतिदिन डोर–टू–डोर कचरा (कूड़ा) संग्रहण एवं निष्पादन। (शर्त्त सं0–2)

(iii) समय– समय पर सौंपे गये सफाई संबंधित अन्य कार्य जैसं दशहरा, छठ, ईद, बकरीद, रामनवमी। (शर्त्त सं0–3)

(iv) यह एकरारनामा, एकरारनामा होने के तिथि से 11 महीनों तक वैद्य रहेगा। (शर्त्त सं0–7)

(v) नगर परिषद् डुमराँव से लिये गये उपकरणें व संसाधनों का किराया चेक द्वारा करना होगा। (शर्त्त सं0–8)

(vi) आम नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिकोण से द्वितीय पक्ष को अपने स्थानीय कार्यालय में कार्यरत कर्मी का मोबाईल/फोन संख्या नगर परिषद् को उपलब्ध कराना होगा साथ ही संस्था के द्वारा सभी सफाई कर्मी को ड्रेस निर्गत किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में नगर परिषद डुमराँव द्वारा कृषि एजुकेशनल एण्ड हेल्थ सेवा संस्थान, पटना को किए गए सफाई कार्य के विरूद्ध राशि ₹ 3198000.00 का भुगतान किया गया। जिसकी विस्तृत विवरणी निम्नवत है।